डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30-अ]   रायपुर, गुरुवार, दिनांक 22 फरवरी 2001—फाल्गुन 3, शक 1922

विधि विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 15 फरवरी 2001

क्रमांक 639 A/21-अ/(प्रारूपण)/छग/2001.— भारत के संविधान के अनुच्छेद-213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

"छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (विशेष उपबन्ध) अध्यादेश, 2001" (क्रमांक 2 सन् 2001).

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. यदु, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश

क्रमांक 2 सन् 2001

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 2001

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया .

अत: राज्य के विधान मंडल का सत्र चालू नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो गई है जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि तुरन्त कार्रवाई करें :—

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद-213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम.

1. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 2001 है .

1 नवम्बर, 2000 को प्रारंभिक स्टाक में रहे माल पर कर का उद्ग्रहण तथा मुजराई की हकदारी हेतु विशेष उपबंध.

2. (1) जहां स्टाक में रखा गया कोई माल—

(क) कर संदत्त माल है वहां ऐसे माल की क्रय या विक्रय कीमत पर पुन: कोई कर उद्ग्रहणीय नहीं होगा.

(ख) औद्योगिक इकाइयों को रियायत प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अधीन कर के भुगतान से छूट के लिए पात्र नई औद्योगिक इकाइयों द्वारा विनिर्मित किया गया माल है और उस प्रयोजन के लिए ऐसी इकाई उक्त अधिसूचनाओं के अधीन पात्रता प्रमाण-पत्र धारण करती हो, वहां यथास्थिति, ऐसे माल के क्रय या विक्रय की कीमत पर किसी कर का भुगतान नहीं किया जाएगा .

परन्तु ऐसा व्यापारी, जो ऐसे माल पर छूट का दावा करता है, उक्त अधिसूचना में जिसके अधीन छूट का दावा किया जा रहा है, विहित निबंधन तथा शर्तों का पालन करेगा .

(2) जहां अनुसूची तीन में विनिर्दिष्ट माल को छोड़कर स्टाक में रखा गया कोई माल कर संदत्त माल है और विक्रय के लिए ऐसा माल ऐसी तारीख पर या उसके पश्चात् अन्य माल के विनिर्माण में कच्चा माल या आनुषांगिक माल के रूप में उपयोग किया जाता है वहां व्यापारी धारा-13, तथा उसे अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए दावा, मुजराई करने का हकदार होगा .

व्यापारियों का रजिस्ट्रीकरण.

3. मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) के अधीन 31 अक्टूबर, 2000 को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारण करने वाले ऐसे व्यापारी, जो पृथक् छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के परिणामस्वरूप पृथक् रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करना चाहते हैं, 31 दिसंबर, 2000 तक सक्षम वाणिज्यिक कर अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं और व्यापारी के विकल्प पर जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र एक नवम्बर, 2000 से प्रभावी होगा . .

कतिपय शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का अर्थ.

4. इस अधिनियम में उपयोग किए जाने वाले शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उनके लिए मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) में समनुदेशित किया गया है .

हस्ता./-

राज्यपाल,

छत्तीसगढ़ राज्य.

CHHATTISGARH ORDINANCE
No. 2 of 2001

THE CHHATTISGARH VANIJYIK KAR (VISHESH UPBANDH) ORDINANCE, 2001

Promulgated by the Governor in the Fifty Second Year of the Republic of India.

Whereas the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title.

1. This Ordinance may be called the Chhattisgarh Vanijyik Kar (Vishesh Upbandh) Ordinance, 2001.

Special provisions with regard to levy of tax and entitlement of set-off on goods held in opening stock on 1st November, 2000.

2. (1) Where any goods held in stock :—

(i) are tax paid goods, no tax shall again be leviable on the purchase or sale price of such goods.

(ii) are goods manufactured by new industrial Units eligible for exemption from payment of tax under any notification issued by Commercial Tax Department, for granting concessions to Industrial Units and for that purpose such unit holds any eligibility certificate under the said notification, no tax on the purchase or the sale price of such goods, as the case may be, shall be payable.

Provided that the dealer claiming exemption on such goods complies with the restrictions and conditions prescribed in the said notification under which the exemption is being claimed.

(2) Where any goods, except the goods specified in Schedule III, held in stock are tax paid goods and such goods are used on or after such date as raw material or incidental goods in the manufacture of other goods for sale, the dealer shall be entitled to claim, set-off subject to the provisions of Section 13 and the rules made thereunder.

Registration of dealers.

3. The dealer holding registration certificate under Madhya Pradesh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 on 31st October, 2000 who intend to obtain separate registration as a consequence of creation of a separate State of Chhattisgarh, may make an application to the compitent Commercial Tax Officer upto 31st December, 2000 and registration certificate issued shall, at the option of the dealer, take effect from 1st November, 2000.

Meaning of certain words & expressions.

4. The words and expressions used in this Act shall have the meaning assigned to them in the Madhya Pradesh Commercial Tax Act, 1994 (No. 5 of 1995).

Sd./-
Governor of Chhattisgarh.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.